

मु० न०- 110 / 2023

तारीखरजू:- 21/12/23

उनवान:- बदनसिंह बनाम रज्जूलाल वगै०
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम
21 ¹² / ₂₃	<p>प्रार्थी की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनुन किया पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायलान को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहर के नोटिस जरिए रजिस्टर्ड ए.डी. से तलब होकर पत्रावली दिनांक 25.01.24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(सुनील मीना) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी</p>
25 ¹ / ₂₄	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगणों के नोटिस तामील होकर प्राप्त नहीं हुए हैं वास्ते इन्तजार तलबी नोटिस दिनांक 7.2.24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(सुनील मीना)</p>
7 ² / ₂₄	<p>फावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। वास्ते इन्तजार तलबी नोटिस दिनांक 13.3.24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(सुनील मीना)</p>
15 ² / ₂₄	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगणों के नोटिस तामील होकर प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः नोटिस पेश करने के लिए प्रार्थी वकील को हिदायत दी गई। वास्ते तलबी दिनांक 29.4.24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(सुनील मीना)</p>
29 ⁴ / ₂₄	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। वास्ते तलबी दिनांक 15.5.24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(सुनील मीना)</p>

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला-करौली

दिनांक	फर्द अहकाम
22-5-25	पत्रावली पेश हुई। प्राची वकील उपस्थित प्राची वकील को अपाणी नं०। का लखी नोटिस पेश करने की दिनांक डी गई। वारंटे लखी दिनांक 25/6/25 को पेश हो।
25-6-25	पत्रावली पेश हुई। प्राची वकील उपस्थित प्राची वकील को अपाणी नं०। का लखी नोटिस पेश करने के लिए नार्किस मोक सिपा ठापा। वारंटे लखी दिनांक 28/7/25 को पेश हो।
28/7/25	पत्रावली पेश हुई। प्राची वकील उपस्थित प्राची को अपाणी नं०। का लखी नोटिस पेश करने के लिए नार्किस मोक सिपा ठापा वारंटे लखी दिनांक 2/9/25 को पेश हो।
2/9/25	पत्रावली पेश हुई। प्राची वकील उपस्थित प्राची वकील को अपाणी। का लखी नोटिस पेश करने की दिनांक डी गई। वारंटे लखी दिनांक 10/10/25 को पेश हो।
10/10/25	ठवमप होने के कारण।
13/10/25	पत्रावली पेश हुई। प्राची वकील उपस्थित। प्राची वकील को अपाणी। का लखी नोटिस पेश करने की दिनांक डी गई। वारंटे लखी दिनांक 5/12/25 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला-करौली

दिनांक	फर्द अहकाम	
5.12.25	<p>वारी करौली... समय पक्ष उपस्थित पीठाधीश्वर... पत्रावली... को पेश हो।</p>	
09.12.26	<p>वारी करौली... समय पक्ष उपस्थित पीठाधीश्वर... पत्रावली... को पेश हो।</p>	
122 06	<p>पत्रावली पेश की जा रही एवं जांच जारी को उपलब्ध नहीं. बार-बार आवक दिवार गई। अतः आवक की को उपलब्ध नहीं. अतः जांच का प्रारंभ पत्र अर्थात् जय शिवा राज्यी निवेदन्य अथवा पेशी अथवा एडिरी अथवा विषय जाता है। पत्रावली पेश्य अथवा एडिरी अथवा ले कर कर शक्ति 1 फरद हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली